आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल

स्मरण पत्र

क्रमांक/एस.एच.ए/ए.बी/2024/3331 भोपाल, दिनांक 18/10/2024

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश।
5. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव समस्त विभाग मध्यप्रदेश।

विषयः– आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–

1. क्रमांक/एस.एच.ए/ए.बी/2024/2213, भोपाल दिनांक 09/07/2024।
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक PHFW/0763/2023/सत्रह/मेडि–02 भोपाल, दिनांक 12/12/2023।
3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक 820/PHFW/0763/2023/सत्रह/मेडि–02 भोपाल, दिनांक 06/10/2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम मे लेख है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता संविदा कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषाकार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु जानकारी चाही गई थी जो कार्यालय आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश को आज दिनांक तक अप्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के संबंधित हितग्राहियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदाय किये जाने हेतु समस्त पात्र हितग्रहियों की सूची संदर्भित पत्र अनुसार संलग्न प्रारूप में कार्यालय आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पात्र हितग्राहियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान किया जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

15.10.24

(संदीप यादव)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक /एस.एच.ए/ए.बी/2024/3332 भोपाल, दिनांक 8/10/2024

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
8. महाप्रबंधक (ऑपरेशन), आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक (आई.टी.), आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।

8.10.24

प्रमुख सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner